अभिलेख उपस्थापित। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा के पत्रांक–288/भू0सु0
दिनांक–17.11.2020 से अभिलेख प्राप्त है।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा ने अभिलेख में उल्लेख किया है कि मौजा–पथरा, थाना
नं0–526, के गैरमजरूआ खाता सं0–89 के अन्दर खेसरा सं0–1132 कुल खतियानी
रकवा–19–03–13 धूर, किस्म–परतीकदीम के रूप में सर्वे खतियान में अंकित है। पंजी–II में
खाता सं0–89 मी0 के अन्दर रकवा 02.00 एकड़ भूमि शेख समालुद्यीन, पिता–बजीरूदीन,
साकिन–पथरा के नाम से अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा के भूमि बन्दोस्ती केश सं0 342/73–74
आदेश तिथि 18.12.1978 के आधार पर दर्ज है। जांच के कम में पाया कि उक्त जमीन पर
बन्दोवस्तदार रैयत/बंशज का दखल–कब्जा/जोत कोड़ नही है, जबकि बंदोबस्तदार के साथ
कृषि कार्य हेतु भूमि बंदोबस्ती की गई है। फोटो प्रति संलग्न। संथाल परगना कास्तकारी पूरक
अधिनियम 1949 की धारा–33 में वर्णित है कि बंदोबस्तदार द्वारा बंदोबस्त भूमि को 5 वर्षो के
अन्दर जोत–कोड़/दखल–कब्जा किया जाना अनिवार्य है। इसी ग्राम में अनुसूचित जनजाति/
अनुसूचित जाति श्रेणी के भूमिहीन रैयत होने के बाबजुद पिछड़ा वर्ग–1 श्रेणी के साथ भूमि
दोबस्ती की गई है। सथाल परगना कास्तकारी पूरक अधिनियम 1949 की धारा 28 में वर्णित है
कि उसी मौजा में निवास करने वाले जमाबंदी रैयत के साथ अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित
जाति/ अत्यंत पिछड़ी जाति श्रेणी के भूमिहीन रैयत को प्राथमिकता देते हुए भूमि की बंदोबस्ती
की जानी है। अतः संथाल परगना कास्तकारी पूरक अधिनियम 1949 की धारा 28 का अनुपालन
नही करने एवं धारा 33 (पांच वर्षो के अंदर भूमि का जोत कोड़/दख्ल कब्जा नही रहने) के
कारण उक्त बंदोबस्ती रदद् करने की की अनुशंसा की गई है।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा द्वारा संथाल परगना कास्तकारी पूरक अधिनियम–1949
की धारा–28 का अनुपालन नही करने एवं धारा 33 (पांच वर्षो के अंदर भूमि का जोत
कोड़/दखल कब्जा नही रहने) के कारण मौजा–पथरा, थाना नं0–526, के गैरमजरूआ खाता
सं0–89 के अन्दर खेसरा सं0–1132 के अन्दर अंश रकवा 02.00 (दो) एकड़ किस्म–परतीकदीम
भूमि शेख समालुद्यीन, पिता–बजीरूदीन, साकिन–पथरा के साथ कायम अवैध/संदेहास्पद
जमाबन्दी को रद्द् करने की अनुशंसा किया गया है।

अतः भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा के अनुशंसा के आधार पर संथाल परगना
कास्तकारी पूरक अधिनियम–1949 की धारा–28 का अनुपालन नही करने एवं धारा 33 (पांच वर्षो
के अंदर भूमि का जोत कोड़/दखल कब्जा नही रहने) के कारण मौजा–पथरा, थाना नं0–526,
के गैरमजरूआ खाता सं0–89 के अन्दर खेसरा सं0–1132 के अन्दर अंश रकवा 02.00 (दो)
एकड़ किस्म–परतीकदीम भूमि शेख समालुद्यीन, पिता–बजीरूदीन, साकिन–पथरा के साथ कायम
अवैध/संदेहास्पद जमाबन्दी को रद्द् किया जाता है।

अभिलेख अंचल अधिकारी, गोड्डा को भेजे एवं इसकी सूचना भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
गोड्डा को दे।

लेखापित एवं संशोधित

18/11/2020

अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।

18/11/2020

अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।